[2022] 4 एस. सी. आर. 1095

ए.

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. (इंडिया) लिमिटेड v.

प्रमुख राजस्व प्राधिकरण को नियंत्रित करना (2022 की सिविल अपील संख्या 3070)

बी.

26 अप्रैल, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

गुजरात स्टाम्प अधिनियम, 1958-एस. एस.9(क), 54 (1) (क)-अनुसूची 1 का अनुच्छेद 20 (क), 45 (च)-स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य या प्रभार्य पावर ऑफ अटॉर्नी (पी. ओ. ए.) वाले असाइनमेंट विलेख-उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता (एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, जिसे बैंक द्वारा ऋण सौंपा गया था) को Art.45 (च) द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा-उच्च न्यायालय ने राय दी कि केवल इसलिए कि बेचने की शक्ति, अनुसूची 3 के तहत असाइनमेंट विलेख का हिस्सा है, अपीलकर्ता शुल्क के प्रभार से बच नहीं सकता है और यह कि पी. ओ. ए. पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है-अपील पर कहा गया:अपीलार्थी द्वारा पंजीकरण के लिए जो प्रस्तुत किया गया था वह एक एकल दस्तावेज था जिसका नाम था "समनुदेशन समझौता"-उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि पी. ओ. ए. का कोई स्वतंत्र साधन नहीं था और किसी भी मामले में, किसी सुरक्षित संपत्ति की बिक्री की शक्ति प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों से निकली थी और पी. ओ. ए. के एक स्वतंत्र साधन से नहीं-अनुच्छेद 20 (ए) के तहत एक हस्तांतरण के रूप में कर्तव्य के लिए प्रभार्य साधन के रूप में समनुदेशन विलेख को स्वीकार करने के बाद और उसी पर देय शुल्क एकत्र करने के बाद, प्रत्यर्थी के लिए एक बार फिर उसी साधन को अनुच्छेद 45 (एफ) के तहत शुल्क के अधीन करने के लिए खुला नहीं है। 9(क)-चूँकि उच्च न्यायालय ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से अनुच्छेद 45 (च) की व्याख्या पर चला गया, वही टिकाऊ नहीं है-वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।3, 5(1)(ख)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1095

1096 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

ए.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि पी. ओ. ए. का कोई स्वतंत्र साधन नहीं था और किसी भी मामले में, सुरक्षित संपत्ति की बिक्री की शक्ति प्रतिभूतिकरण अधिनियम, **2002** के प्रावधानों से निकली थी, न कि पी. ओ. ए. के एक स्वतंत्र साधन से। अनुच्छेद **45 (**च**)** को लागू करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा।वे हैं, **(i)** पी. ओ. ए. को विचार के लिए दिया जाना चाहिए था; और **(ii)** किसी भी अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार साधन से बाहर आना चाहिए।हाथ में मामले में, अपीलार्थी द्वारा ओ. बी. सी. को भुगतान किया गया प्रतिफल, किसी विशेष उधारकर्ता के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के उद्देश्य से था।समनुदेशन विलेख की अनुसूची **3** में निहित पी. ओ. ए. का मसौदा केवल समनुदेशन विलेख के लिए आकस्मिक था।असाइनमेंट के विलेख को पहले से ही अनुच्छेद **20 (**ए**)** के तहत कर्तव्य के लिए प्रभारित किया गया है जो "परिवहन" से संबंधित है।वास्तव में अनुच्छेद **45 (**च**)** में यह भी कहा गया है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत आने वाले पी. ओ. ए. को अनुच्छेद **20** के तहत मुद्रांक शुल्क के लिए प्रभार्य होना चाहिए।**[**पारस **9,11** और **12] [1099-**ई**; 1100-**बी**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

2. लेकिन इस मामले में जो हुआ वह यह है कि **25** जनवरी, **2002** की एक अधिसूचना के तहत, सरकार ने ऋणों के प्रतिभूतिकरण या अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋण के आवंटन के साधन पर देय स्टांप शुल्क को प्रत्येक **Rs.1000** या उसके हिस्से के लिए **75** पैसे तक कम करने का आदेश दिया।उपरोक्त अधिसूचना को **1** अप्रैल, **2003** की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था।अधिनियम की धारा **9 (**ए**)** द्वारा प्रदत्त शुल्क को कम करने, प्रेषित करने या चक्रवृद्धि करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना **01.04.2003** को देखते हुए, अनुच्छेद **20 (**ए**)** के संदर्भ में प्रभार्य शुल्क की राशि को रु। **1,00,000**।रुपये की उक्त राशि के अलावा, अपीलार्थी को धारा **3** ए के तहत **Rs.40,000/**का अतिरिक्त शुल्क देने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अपीलार्थी ने अनुच्छेद **20 (**ए**)** के तहत एक परिवहन के रूप में शुल्क लिए जाने के साथ कुल रु. **1,40,000** का भुगतान किया है।सभी कराधान कानूनों में, कराधान प्रावधान और

मशीनरी प्रावधान हैं।एक बार जब क़ानून के सही प्रभार प्रावधान, अर्थात् अनुच्छेद **20 (**ए**)** के तहत एक एकल उपकरण से शुल्क लिया जाता है, तो राजस्व उपकरण को दो भागों में विभाजित नहीं कर सकता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1097

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. (इंडिया) लिमिटेड v.प्रमुख राजस्व प्राधिकरण को नियंत्रित करना ए

धारा **9 (**ए**)** के तहत जारी सरकार की अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में कमी की सुविधा के कारण।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद **20 (**ए**)** के तहत एक हस्तांतरण के रूप में कर्तव्य के लिए प्रभार्य एक साधन के रूप में असाइनमेंट के विलेख को स्वीकार करने के बाद और उस पर देय शुल्क एकत्र करने के बाद, प्रत्यर्थी के लिए अनुच्छेद **45 (**एफ**)** के तहत एक बार फिर उसी साधन को कर्तव्य के अधीन करने के लिए खुला नहीं है, केवल इसलिए कि अपीलार्थी को धारा **9 (**ए**)** के तहत अधिसूचनाओं का लाभ मिला था।चूँकि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश ने इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया और पूरी तरह से अनुच्छेद **45 (**च**)** की व्याख्या पर चला गया, इसलिए यह टिकाऊ नहीं है।इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।परिणामस्वरूप मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा की गई मांग को दरकिनार कर दिया जाता है।**[**पारस **13-16] [1100-E-F; 1101-A, D-H; 1102-A]**

बी.

सी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 3070।

डी.

2012 के डाक टिकट संदर्भ संख्या 2 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 22.08.2016 के निर्णय और आदेश से।

वी. चितमबरेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भरत सूद, सुश्री श्रुति जोस, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

एफ.

1. गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा धारा 54 (1) (ए) के तहत एक स्टाम्प संदर्भ में दी गई राय से व्यथित

गुजरात स्टाम्प अधिनियम, 1958 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित),

गुजरात राज्य के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा की गई उपरोक्त अपील सामने आई है।

जी.

2. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. चितम्बरेश और गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अर्चना पाठक दवे को सुना है।

एच.

3. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (संक्षेप में 'ओ. बी. सी.') ने उधारकर्ता को कुछ सुविधाएँ प्रदान कीं और उधारकर्ता ने पुनर्भुगतान में चूक की।ऋण की वसूली करने में असमर्थ, बैंक ने इसमें अपीलकर्ता के पक्ष में ऋण सौंपा, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है।

बी.

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (इसके बाद प्रतिभूतिकरण के रूप में संदर्भित)

अधिनियम 2002 ')।ओ. बी. सी. द्वारा किया गया कार्य 18.11.2008 दिनांकित एक समझौते के तहत था।असाइनमेंट एग्रीमेंट को उप-पंजीयक, भरूच के साथ 18.11.2008 पर पंजीकृत किया गया था।वास्तव में, दस्तावेज़ के पंजीकरण से पहले अधिनियम की धारा 31 के तहत एक निर्णय लिया गया था। 4.तथापि, महालेखाकार के कार्यालय द्वारा एक लेखापरीक्षा आपत्ति इस आधार पर उठाई गई थी कि समनुदेशन विलेख में अनुसूची 3 में एक

पावर ऑफ अटॉर्नी (संक्षेप में 'पी. ओ. ए.') का संदर्भ है और उक्त पी. ओ. ए. अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 45 (एफ) के तहत मुद्रांक शुल्क के लिए प्रभार्य था। लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार 53,800/- के घाटे वाले स्टाम्प शुल्क की मांग की गई थी।

सी.

डी.

5. इसके बाद, डिप्टी कलेक्टर (स्टाम्प ड्यूटी) ने मामले को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण को भेज दिया, जिसने बदले में अपीलार्थी को नोटिस जारी किया।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के बाद, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण ने 23.10.2008 पर पारित निर्णय के आदेश को दरकिनार करते हुए और घाटे वाले स्टाम्प शुल्क की वसूली का निर्देश देते हुए दिनांक 04.01.2012 का एक आदेश पारित किया।

ई.

6. उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 54 (1) (ए) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर, मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण ने न्यायालय की राय के लिए निम्नलिखित दो प्रश्नों को संदर्भित कियाः-

एफ.

“(क) लेखा महाधिवक्ता, अहमदाबाद द्वारा वर्ष 2008 में लेखा परीक्षा पैरा में उठाई गई आपत्ति बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम, 1958 के अनुच्छेद-45 (च) के अनुसार उचित है या नहीं? (बी) क्या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद-20 (ए) के अनुसार Rs.24,94,100/- यानी 4.9% का स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं?”

जी.

7. उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने समनुदेशन विलेख में निहित पाठों की जांच की और पाया कि बैंक ए में एक अपरिवर्तनीय पी. ओ. ए. को निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ था।

एच.

इसमें अपीलार्थी का पक्ष, काफी हद तक समनुदेशन विलेख की अनुसूची 3 में निर्धारित प्रपत्र में।अनुसूची 3 में निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अचल संपत्ति को बेचने के लिए बैंक के एजेंट के

रूप में समनुदेशिती को सशक्त बनाने वाले पाठ शामिल थे।इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 45 (च) में विचार के लिए एक पी. ओ. ए. दिया गया है और इसमें स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य किसी भी अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार है, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी को अनुच्छेद 45 (च) द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा।उच्च न्यायालय ने राय दी कि केवल इसलिए कि बेचने की शक्ति, अनुसूची 3 के तहत असाइनमेंट के विलेख का हिस्सा है, अपीलार्थी कर्तव्य के प्रभार से बच नहीं सकता है और पी. ओ. ए. पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है।8. लेकिन हमें नहीं लगता कि उपरोक्त तर्क को स्वीकार किया जा सकता है। सबसे पहले, अपीलार्थी द्वारा पंजीकरण के लिए जो प्रस्तुत किया गया था वह एक एकल दस्तावेज था जिसका नाम "असाइनमेंट एग्रीमेंट" था।समनुदेशन समझौते के खंड 11.12 में इस आशय के पाठ शामिल थे कि विक्रेता (समनुदेशनकर्ता, अर्थात् ओ. बी. सी.) समनुदेशन विलेख, एक अपरिवर्तनीय पी. ओ. ए., को अनुसूची 3 में निर्धारित रूप में निष्पादित करने के साथ-साथ निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया था।असाइनमेंट एग्रीमेंट की अनुसूची 3 में जो कुछ भी शामिल था, वह एक अपरिवर्तनीय पी. ओ. ए. का प्रारूप था। 9.उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि पी. ओ. ए. का कोई स्वतंत्र साधन नहीं था और किसी भी मामले में, सुरक्षित संपत्ति की बिक्री की शक्ति प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों से निकली थी, न कि पी. ओ. ए. के एक स्वतंत्र साधन से। प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 2 (जेड. डी.) एक 'सुरक्षित लेनदार' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी।अपीलार्थी ने प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 5 (1) (बी) के अनुसार ओ. बी. सी. की वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है।इसलिए, प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत, अपीलार्थी को ऋणदाता माना जाएगा और बैंक के सभी अधिकार उनमें निहित होंगे।वास्तव में, 2016 के संशोधन अधिनियम 44 के तहत, प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 5 में उप-धारा (1 ए) डाली गई थी, जिसमें परिसंपत्ति पुनर्निर्माण या प्रतिभूतिकरण के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने वाली परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के पक्ष में धारा 5 (1) के तहत किसी भी बैंक द्वारा निष्पादित किसी भी दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई थी।यद्यपि उक्त संशोधन अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि इस मामले में समनुदेशन विलेख को संशोधन से बहुत पहले निष्पादित किया गया था, हमने केवल यह दिखाने के लिए संशोधन पर ध्यान दिया है कि संसद कितनी दूर चली गई है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1100

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

10. अधिनियम की अनुसूची I का अनुच्छेद 45 (च) इस प्रकार हैः-

बी.

11. अनुच्छेद 45 (च) को लागू करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा।वे हैं, (i) पी. ओ. ए. को विचार के लिए दिया जाना चाहिए था; और (ii) किसी भी अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार साधन से बाहर आना चाहिए।

सी.

12. हाथ में मामले में, अपीलार्थी द्वारा ओ. बी. सी. को भुगतान किया गया प्रतिफल, किसी विशेष उधारकर्ता के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के उद्देश्य से था।समनुदेशन विलेख की अनुसूची 3 में निहित पी. ओ. ए. का मसौदा केवल समनुदेशन विलेख के लिए आकस्मिक था।असाइनमेंट के विलेख को पहले से ही अनुच्छेद 20 (ए) के तहत कर्तव्य के लिए प्रभारित किया गया है जो "परिवहन" से संबंधित है।वास्तव में अनुच्छेद 45 (च) में यह भी कहा गया है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत आने वाले पी. ओ. ए. पर अनुच्छेद 20 के तहत मुद्रांक शुल्क लगाया जाना चाहिए।

डी.

13. लेकिन इस मामले में जो हुआ वह यह है कि 25 जनवरी, 2002 की अधिसूचना No.GHM/2002-5-M STP-102000-2749 H-1 के तहत, सरकार ने ऋणों के प्रतिभूतिकरण या अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋण के आवंटन के साधन पर देय स्टाम्प शुल्क को प्रत्येक Rs.1000 या उसके हिस्से के लिए 75 पैसे तक कम करने का आदेश दिया। यह अधिसूचना इस प्रकार हैः-

ई.

“बॉम्बे स्टाम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम एलएक्स) की धारा 9 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरकारी आदेशों के अधिक्रमण में राजस्व विभाग सं. जी. एच. एम.-98-22-एम.-एस. टी. पी.-1096-2527-एच.-1 दिनांक 26.02.1998, गुजरात सरकार एतद्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उस शुल्क को कम कर देती है

जिसके साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 20 (ए) के तहत प्रभार्य अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋण के प्रतिभूतिकरण या ऋण के आवंटन का एक साधन प्रत्येक 1000 रुपये या उसके हिस्से के लिए 75 पैसे प्रतिभूतिकृत ऋण या अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ सौंपा गया ऋण है।

एफ.

जी.

आदेश द्वारा और गुजरात के राज्यपाल के नाम पर।"

एच.

1101

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. (इंडिया) लिमिटेड v.प्रमुख राजस्व प्राधिकरण को नियंत्रित करना [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

ए.

14. उपरोक्त अधिसूचना को बाद की अधिसूचना सं. जी. एच. एम./2003/28 एसटीपी/102002/2065 एच-1 दिनांक 1 अप्रैल, 2003।उक्त अधिसूचना इस प्रकार हैः-

"बॉम्बे स्टाम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम एलएक्स) की धारा 9 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात सरकार एतद्वारा सरकारी आदेश सं. जी. एच. एम./2002/5 एम./एस. टी. पी./102000/2749/एच-1, दिनांक 25 जनवरी, 2002 निम्नानुसार हैः-

बी.

उक्त आदेश में, "प्रत्येक 1000 रुपये या उसके हिस्से के लिए पचहत्तर पैसे" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "अधिकतम एक लाख रुपये के अधीन, प्रत्येक 1000 रुपये या उसके हिस्से के लिए पचहत्तर पैसे" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सी.

आदेश द्वारा और गुजरात के राज्यपाल के नाम पर।"

डी.

15. अधिनियम की धारा 9 (ए) द्वारा प्रदत्त शुल्क को कम करने, प्रेषित करने या चक्रवृद्धि करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना 01.04.2003 को देखते हुए, अनुच्छेद 20 (ए) के संदर्भ में प्रभार्य शुल्क की राशि को रु। 1,00,000-।रुपये की उक्त राशि के अलावा, अपीलार्थी को धारा 3-ए के तहत Rs.40,000/- का अतिरिक्त शुल्क देने के

लिए कहा गया था। इस प्रकार अपीलार्थी ने कुल रु. 1,40,000 की राशि का भुगतान किया है-जिसमें अनुच्छेद 20 (ए) के तहत साधन से परिवहन शुल्क लिया गया है।

ई.

16. सभी कराधान कानूनों में, कराधान प्रावधान और मशीनरी प्रावधान हैं।एक बार जब क़ानून के सही प्रभार प्रावधान, अर्थात् अनुच्छेद 20 (ए) के तहत एक एकल उपकरण से शुल्क लिया जाता है, तो राजस्व उपकरण को दो भागों में विभाजित नहीं कर सकता है, क्योंकि धारा 9 (ए) के तहत जारी सरकार की अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में कमी की गई है।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 20 (ए) के तहत एक हस्तांतरण के रूप में कर्तव्य के लिए प्रभार्य एक साधन के रूप में असाइनमेंट के विलेख को स्वीकार करने के बाद और उस पर देय शुल्क एकत्र करने के बाद, प्रत्यर्थी के लिए अनुच्छेद 45 (एफ) के तहत एक बार फिर उसी साधन को कर्तव्य के अधीन करने के लिए खुला नहीं है, केवल इसलिए कि अपीलार्थी को धारा 9 (ए) के तहत अधिसूचनाओं का लाभ मिला था।चूँकि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश ने इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया और पूरी तरह से अनुच्छेद 45 (च) की व्याख्या पर चला गया, इसलिए यह टिकाऊ नहीं है।अतः अपील यह है कि

एफ.

जी.

एच.

1102

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है।परिणामस्वरूप मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा की गई मांग को दरकिनार कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

बी.

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.